

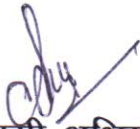
प्रपत्र-54

परियोजना विवरण :- सौगढ पन्तगौव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डेड लेन मे परिवर्तन किये जाने का निर्माण

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


प्रभासीय वनाधिकारी
प्रभासीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत




अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


अल्मोड़ा वन प्रभाग